

राजस्थान सरकार
उपनिवेशन विभाग

क्रमांक : प. 3(38)उप/2000 पार्ट-5

जयपुर, दिनांक : 06/5/2016

अधिसूचना

राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें, 1955 की शर्त संख्या 15-ए द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा उपनिवेशन क्षेत्र की समस्त परियोजनाओं के काश्तकारों (सभी श्रेणी के आवंटियों यथा सामान्य आवंटन, विशेष आवंटन व मोहरबंद नीलामी द्वारा आवंटन आदि) को आवंटित भूमि की कीमत के पेटे बकाया समस्त किश्तों को अधिसूचना जारी होने की दिनांक से दिनांक 30.09.2016 तक एक मुश्त जमा कराने पर उस पर देय ब्याज की राशि में शत-प्रतिशत छूट प्रदान करती है।

आज्ञा से,



(मुन्नी मीना)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैं :-

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, राजस्व मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
7. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
8. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि इसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में करवाकर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
10. रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव